

May 05
31
3
10 4
17 11
4 18
Note's 25 1
2

प्रातः अद्या ई० 256 / 1995.

अपाल/लेपो रियल है निष्पादन के उद्दन्वय में।

बिहार पुलिस हस्ते, 1978 के अंधेरे 353 में जातों में बरहा स्तम्भों, सेवा युति पर्याप्त युति आदेश के लिए उन्होंने अपनायें दूर पारित जानकारी के लिए अपनी मैमोरियल रक्षा महानिरोक्षक सम्प्रति नडानिक्षेप, सर्व भारद्वा गहानरोक्ष के पहुँच विवरणीय अनुग्रहन्य एवं इन्होंने अपनी मैमोरियल के चिन्हान्दन का । फिन्नु पुलिस आदेश संख्या 203/33 ए डीट 2 में अपनी मैमोरियल के चिन्हान्दन का व्याधियां प्रबोधनीय भारद्वा गहानरोक्ष को दिया गया है । इस तर्फ भैं गाहन्याय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश का गहानरोक्ष को दिया गया है । बिहार पुलिस हस्ते, 1978 में निहित द्वारा देखे गए गहाने में जानकारी के लिए दिये गये हैं । बिहार पुलिस हस्ते, 1978 में निहित द्वारा देखे गए गहाने में जानकारी के लिए दिये गये हैं । बिहार पुलिस हस्ते, 1978 में निहित द्वारा देखे गए गहाने में जानकारी के लिए दिये गये हैं ।

2. ऐसो फ्रैक्चरल बनाने विहार पुलिस हस्ताक्षरियम में संबोधन नहीं हो जाता है तबतक आरक्षी उपगढ़ानितारे हैं द्वारा पारित अदेश के पिछ्ले अंत मेमोरियल मट्टा अदेश है इसके अंत में अंत मेमोरियल, विहार के बहुत हो विवारणी समर्पित किया जासगा क्योंकि विहार एवं आरक्षी महाभिरोधी, विहार के बहुत हो विवारणी समर्पित किया जासगा क्योंकि विहार दृतिस हस्ताक्षरियम के अनुसार वे हो सक्षम पदाधिकारों हैं। तदनुसार पुलिस अदेश तो 203/38 दृतिस हस्ताक्षरियम के अनुसार वे हो सक्षम पदाधिकारों हैं औ अंत मेमोरियल पर किष्पाइन जो जो अदित प्रदान जो गयी है उसे निरस्त किया जाता है।

~~গুরুবার~~
১৮/১৯

19/10/13
बी० दो० दोहरे

महानिर्देश रई आरद्धो महानिरोक्ता, बिहार,
पटना।

ज्ञापा 2903 /पं-2 नडानिया, र्ख अरक्ष, महानिराश, डा धार्यली, बिहार।
 ५३ २० १८ १९९४ नटन, दिल्ली १९ जान्त, १९९५।

प्रतिलिपि:-
सभा प्रदेशीय आरक्ष महानिरोद्ध/आरक्ष महानिरोद्ध, जपराध अनुसंधान विभाग
उक्त महानिरोद्ध ऐतेक सहित सभा आरक्ष उक्त महानिरोद्ध, दिल्ली जैन्य पुलिस/सभी आरक्षी
अद्याक्ष/सभी समाजकटा/ सभा ऐतेक आरक्षी अद्याक्ष/ आरक्ष उक्त महानिरोद्ध। खाद्या, अपराध
अनुसंधान विभाग/विभाषण और अनुसंधान विभाग/महानिरोद्ध ऐतेक गौतम शर्मा एवं
तदनुसार जापान के द्विधार्थी ।

267 19845

लारडी मडानिरादि के तहाया निराकरण, बिहार,
मुट्ठा।

માર્ગદાર/૧૯-૮/૭૫.